रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 9, 1990/आषाढ 18, 1912
No. 386] NEW DELHI, MONDAY, JULY 9, 1990/ASADHA 18, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1990

का.आ. 547(अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री राम शरण यादव (जिन्हे इसमें इस आगे "निर्वाचित सदस्य" कहा गया है) का निर्वाचन, जो जून, 1977 में बिहार विधान सभा के लिये हुए साधारण निर्वाचन में 241-गोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य थे, पटना उच्च न्यायालय द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की (जिसे इसमें आगे उक्त अधिनियम कहा गया) है धारा 123 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा भ्रष्ट आचरण किये जाने के आधार पर 10 अप्रैल, 1980 को अपास्त कर दिया गया था।

निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई और उक्त न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश का प्रवर्तन 25 अप्रैल, 1980 को रोक दिया;

उच्चतम न्यायालय ने इसके बाद 30 अक्तूबर, 1984 को अपील खारिज कर दिया और रोक आदेश भी हटा दिया।

निर्वाचित अभ्यर्थी का मामला सचिव, बिहार विधान सभा द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उपधारा (1) के अनुसार 19 मार्च, 1990 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया;

राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अनुसरण में इस प्रश्न पर आयोग की राय मांगी है कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को उस धारा की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित किया जाना चाहिये और यदि हां, तो कितनी अवधि के लिये निरर्हित किया जाना चाहिये;

निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (देखिए उपाबन्ध) दी है कि निर्वाचित अभ्यर्थी को छह वर्ष की अवधि के लिये निरर्हित किया जाना चाहिये जिसकी गणना 30 अक्तूबर, 1984 से अर्थात्, उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख से की जानी चाहिये;

अतः मैं, आर. वेंकटरामन, भारत का राष्ट्रपति उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा यह विनिश्चय करता हूं कि निर्वाचित अभ्यर्थी को

30 अक्तूबर, 1984 से, छह वर्ष की अवधि के लिये निरर्हित किया जाना चाहिये ।

राष्ट्रपति भवन, भारत का राष्ट्रपति

नई दिल्ली,
तारीख 3 जुलाई, 1990

उपबन्ध

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

संदर्भ--बिहार विधान सभा के लिये 1977 में हुए साधारण निर्वाचन में निर्वाचित श्री राम शरण यादव की निरर्हता ।

राय

1.1 यह भारत के राष्ट्रपति से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें आगे 1951 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 8क के अधीन निर्देश है । यह सचिव, बिहार विधान सभा (जो उक्त धारा के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी है) द्वारा उक्त धारा के अधीन तारीख 19-3-1990 की रिपोर्ट के अनुसरण में 27-3-1990 को किया गया था और यह निर्वाचन आयोग की इस प्रश्न पर राय प्राप्त करने के लिये है कि क्या श्री राम शरण यादव जो बिहार विधान सभा के लिये 1977 में हुए साधारण निर्वाचन में निर्वाचित हुए थे, को निरर्हित किया जाना चाहिये और यदि हां तो कितनी अवधि के लिये ।

1.2 जून, 1977 में हुए साधारण निर्वाचन में 241--गोह सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिये श्री राम शरण यादव का निर्वाचन पटना उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 10-1-1980 के उसके आदेश द्वारा इस आधार पर अपास्त कर दिया गया था कि उन्होंने 79-मुरकुंडा बूथ पर धारा 123(2) (असम्यक प्रभाव) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया था।

2.2 पटना उच्च न्यायालय के निर्णय से निम्नलिखित उद्धरण श्री राम शरण यादव द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण का स्पष्ट रूप से विवरण है :--

"इस प्रकार मैंने पक्षकारों द्वारा 79-मुरकुंडा बूथ के संबंध में दिये गये मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की परीक्षा की है और उस पर ऊपर चर्चा की है जिससे यह स्पष्ट है कि अभिलेख अर्जीदार का मामला सिद्ध करने के लिये अत्यधिक साक्ष्य है कि मतदान की तारीख को लगभग 11.30 पूर्वाह्न प्रत्यर्थी सं. 6 राम शरण यादव अपनी जीप में मुरकुंडा बूथ पर पहुंचे और अपने आदमियों से मतदान के रुख के विषय में पूछताछ की । ग्राम इस्लामीपुर के राम प्रसाद यादव ने उन्हें बताया कि बूथ पर उनके पक्ष में कम मतदान हो रहा है और तब प्रत्यर्थी सं. 6 राम शरण यादव ने अपने आदमियों और समर्थकों को, जो मतदान बूथ के आसपास खड़े थे, मतदाताओं को भयभीत करके बूथ पर कब्जा करने और बूथ को घेर लेने का भी आदेश दिया और उक्त आदेश देकर यह बूथ से चले गये और उसके पश्चात् उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बूथ को घेर लिया और मतदाताओं को भयभीत किया और उन्हें अपने मताधिकार से वंचित किया और अभ्यर्थी को भी घेर लिया और वहीं रोक लिया और यह इस संबंध में प्रत्यर्थी सं. 6 की ओर से प्रस्तुत अल्प और अविश्वसनीय साक्ष्य से कहीं भी विपरित नहीं होता है । अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 6 और उसके कार्यकर्ताओं ने मुरकुंडा बूथ पर मतदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार मत देने के स्वतन्त्र निर्वाचन अधिकार में छेड़छाड़ करके असम्यक प्रभाव का भ्रष्ट आचरण किया है ।"

(ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह बनाम श्याम नंदन मिश्र और अन्य-- 65 ई एल आर पृष्ठ 223, पृष्ठ 233 पर)

2.2 श्री राम शरण यादव की अपील पर उच्चतम न्यायालय ने तारीख 25-4-1980 के अपने आदेश द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर सूचना तामील होने तक एक पक्षीय रोक मंजूर किया :

"बिहार राज्य में आसन्न विधान सभा निर्वाचन की दृष्टि से और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर हम उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाते हैं किन्तु आगामी निर्वाचन में अर्जीदार (अर्थात् श्री राम शरण यादव) का भाग लेना इस अपील के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगा ।

यह रोक आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा 6-5-1983 को अपील के अंतिम निपटान लंबित रहने तक के लिये पुष्ट कर दिया गया । 30-10-1984 को उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज कर दिया और रोक आदेश हटा लिया । उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि :

"सावधानीपूर्वक साक्ष्यों का अवलोकन करने और चर्चा के पश्चात् हम उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से पूर्णतया सहमत हैं और यह अभिनिर्धारित करते हैं कि कोई कारण नहीं है कि उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई छेड़छाड़ की जाये जिससे कि भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जा सके । हमारी राय में यह ऐसा मामला नहीं है जहां दो मत संभव हैं जिससे कि अपीलार्थी (श्री राम शरण यादव) को संदेह का लाभ मिल सके ।"

(राम शरण यादव बनाम ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह और अन्य-- ए आई आर 1985 एस सी पृष्ठ 24, पृष्ठ 28 पर)

2.3 उच्चतम न्यायालय द्वारा 30-10-1984 को उपरोक्त रूप में श्री राम शरण यादव की अपील खारिज होने और रोक आदेश हटा लेने के परिणामस्वरूप पटना उच्च न्यायालय का आदेश जिसमें श्री राम शरण यादव को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया था, उक्त तारीख से प्रभावी हुआ । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अनुसार श्री राम शरण यादव का मामला सचिव, बिहार विधान सभा द्वारा जो उस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी है, उक्त तारीख के पश्चात् "यथा शक्यशीघ्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । उक्त धारा 8क की उपधारा (1) इस प्रकार है :

"(1) धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराये गये प्रत्येक व्यक्ति का मामला, उस आदेश के प्रभावशील होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस प्रश्न का अवधारण करने के लिये राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जायेगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाये और यदि किया जाये तो कितनी कालावधि के लिये :

परन्तु यह कालावधि जिसके लिये कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन निरर्हित किया जा सकेगा, किसी भी दशा में उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसको धारा 99 के अधीन उसके संबंध में किया गया आदेश प्रभावशील होता है ।

छह वर्ष की अवधि जिसका उल्लेख उपधारा के परन्तुक में किया गया है, अक्तूबर, 1990 को समाप्त होगी । इसमें सचिव, बिहार विधान सभा की ओर से असाधारण विलंब किया गया है । मामले के इस पहलू की पृथक रूप से छानबीन की जानी चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उक्त धारा 8क के अधीन प्राधिकारियों द्वारा लंबित मामलों के बारे में राष्ट्रपति सचिवालय या निर्वाचन आयोग को कालिक विवरणी भेजने की प्रणाली आरंभ करने और उसके बारे में अनुस्मारक भेजने के बारे में विचार किया जा सकता

3.1 आयोग के पास वर्तमान निर्देश प्राप्त होने के कुछ दिन के भीतर ही, आयोग ने 4-4-1990 को श्री राम शरण यादव को व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से प्राधिकृत काउंसेल के माध्यम से उपस्थित होने के लिए सूचना जारी की क्योंकि आयोग सतत सिद्धांत और प्रथा के रूप में नैसर्गिक न्याय के नियमों के पालन के लिए 1951 के अधिनियम की धारा 8क के अधीन निर्देश मामलों में प्रभावित व्यक्ति को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करता है।

3.2 श्री यादव आयोग के समक्ष 17-4-1990 को उपस्थित हुए और दो मास तक सुनवाई स्थगित करने की प्रार्थना की। उन्होंने निवेदन किया कि उन्हें आयोग की सूचना केवल एक दिन पहले अर्थात् 16-4-1990 को प्राप्त हुई और वह काउंसेल नियुक्ति के लिए धन जुटाने हेतु तथा काउंसेल नियुक्त करने के लिए पर्याप्त समय चाहते थे। उन्हें युक्तियुक्त समय देने की दृष्टि से सुनवाई एक मास तक स्थगित करके 16-5-1990 के लिए रखी गई।

3.3 श्री यादव ने 15-5-1990 को लिखित निवेदन प्रस्तुत किया और 16-5-1990 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और इस आधार पर कि जिस काउंसेल को वह नियुक्त करना चाहते हैं, वह किसी महत्वपूर्ण मामले में पटना उच्च न्यायालय में व्यस्त है, सुनवाई पुनः स्थगित करके 26-5-1990 को की जाने की प्रार्थना की। आयोग ने पुनः उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और सुनवाई 26-5-1990 के लिए स्थगित कर दी।

3.4 श्री यादव 26-5-1990 को आयोग के समक्ष पुनः प्रस्तुत हुए। उनका प्रतिनिधित्व श्री कृष्ण प्रसाद सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता ने किया और उनके सहायक के रूप में श्री उदित नारायण सिंह और श्री अरविंद उज्ज्वल सिंह अधिवक्ता थे।

4 तारीख 15-5-1990 को फाइल किए गए लिखित निवेदन में श्री राम शरण यादव ने कहा है कि वर्ष 1980 में पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् उन्होंने 241 गोह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से तीन निर्वाचन लड़े और उन्हें दो बार अर्थात् 1980 और 1990 में निर्वाचित घोषित किया गया। उन्होंने यह भी प्रतिवाद किया है कि उच्चतम न्यायालय ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 99 के अधीन ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है जिसके आधार पर उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित किया जा सके। उन्होंने यह भी कथन किया है कि उन्हें, विवक्षित सहमति पत्र के अधीन तकनीकी आधार पर भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया और उनकी अपील को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने नरम रुख अपनाया क्योंकि उनके विरुद्ध खर्चे के बारे में अधिनिर्णय नहीं किया। श्री यादव ने यह भी कहा कि तारीख 10-6-1977 को हुए निर्वाचन के पश्चात् तेरह वर्ष बीत चुके हैं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन छह वर्ष की निरर्हता की अधिकतम अवधि भी अक्तूबर, 1990 में समाप्त हो जाएगी। तदनुसार उन्होंने आयोग से कार्यवाही को रोक देने के लिए अनुरोध किया है।

5.1 तारीख 26-5-1990 को हुई सुनवाई में श्री के. पी. सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता ने श्री यादव द्वारा प्रस्तुत लिखित निवेदन की अनुपूर्ति की और कुछ अतिरिक्त निवेदन भी किए वर्ष 1980, 1985 और 1990 में उसी गोह निर्वाचनक्षेत्र से श्री रामशरण यादव द्वारा निर्वाचन लड़े जाने की बाबत श्री के. पी. सिंह ज्येष्ठ अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि जब श्री यादव ने 1985 में निर्वाचन लड़ा था तब उनके नामनिर्देशन की बाबत इस आधार पर आपत्ति की गयी थी कि वह निरर्हित हो गए थे क्योंकि उस समय तक उच्चतम न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था और उक्त आपत्ति को रिटर्निंग आफिसर ने नामंजूर कर दिया और यह कि उसके बाद श्री यादव की निरर्हता की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्न नहीं उठाया गया। उन्होंने निवेदन किया कि उसको ध्यान में रखते हुए श्री यादव इस सद्भाविक विश्वास पर कार्य कर रहे थे कि ता. 10-4-1980 के उच्च न्यायालय के आदेश या ता. 30-10-1984 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर कोई निरर्हता उन पर अधिरोपित नहीं की गयी। इस संबंध में श्री सिंह ने 1951 के अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (i) के उपबंधों के प्रति निर्देश किया जिसमें यह परिकल्पित है कि भ्रष्ट आचरण दोषी प्रत्येक व्यक्ति का यथास्थिति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रभावी होने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने यह निवेदन किया कि राष्ट्रपति के समक्ष श्री यादव के मामले को प्रस्तुत करने में हुआ अनुचित विलंब, श्री यादव के विरुद्ध निरर्हता अधिरोपित नहीं करने के लिए पर्याप्त आधार है, जो सदैव इस सद्भाविक विश्वास पर कार्य कर थे कि वह निरर्हित नहीं थे और उन्होंने, 1985 और विशेष रूप से 1990 में निर्वाचन लड़ने में अत्यधिक शक्ति, समय, श्रम और धन का व्यय किया। श्री सिंह ने यह भी निवेदन किया कि 1951 के अधिनियम की धारा 8क (i) के उपबंधों के अधीन, वह अधिकतम अवधि जिसके लिए निरर्हता अधिरोपित की जा सकती है, किसी व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराने के न्यायालय के आदेश की तारीख से छह वर्ष थी और यह कि यदि मामला राष्ट्रपति के समक्ष समय से प्रस्तुत किया गया होता और उनके द्वारा विनिश्चित कर दिया गया होता तो श्री यादव पर निरर्हता की अवधि, यदि कोई होती, अभी तक अवश्य समाप्त हो गयी होती। उन्होंने इस निवेदन को पुनः दोहराया कि उच्चतम न्यायालय ने इतना नरम रुख अपनाया कि उसने श्री यादव के विरुद्ध खर्चा अधिनिर्णीत नहीं किया, अतः आयोग को भी इस मामले में नरम रुख अपनाना चाहिए।

5.2 अंत में श्री सिंह ने उच्चतम न्यायालय की तारीख 30-10-84 की डिक्री के प्रति निर्देश करते हुए यह उल्लेख किया कि डिक्री से ऐसा प्रतीत हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने ता. 6-5-1983 के न्यायालय के आदेश को रोक दिया। यद्यपि कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके पास यह दर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले अंतरिम आदेश पारित किया गया था या नहीं उनकी यह दलील थी कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा 6-5-1984 को रोक आदेश मंजूर किया गया था तो उच्च न्यायालय का आदेश तीन वर्ष से भी अधिक समय के लिए प्रसुप्त रहा और यदि उस अवधि को भी संगणित किया जाए तो छह वर्ष की वह अधिकतम अवधि जिसके लिए निरर्हता अधिरोपित की जा सकती थी, पहले ही समाप्त हो गयी।

6.1 मैंने तारीख 26-5-1990 को हुई सुनवाई में श्री रामशरण यादव के लिखित निवेदन और उनकी ओर से श्री के० पी० सिंह ज्येष्ठ अधिवक्ता के निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार कर लिया है।

6.2 सबसे पहले मैं तकनीकी प्रकृति के दो प्रश्नों को निपटाना चाहूंगा। इनमें से एक श्री यादव के लिखित निवेदन में और दूसरा के. पी. सिंह ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाया गया है।

6.3 श्री यादव ने अपने लिखित निवेदन में यह दलील पेश की कि उच्चतम न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 99 के अधीन कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया था जिसके आधार पर उन्हें 1951 के अधिनियम की धारा 8क के अधीन निर्हित किया जा सके। इस प्रश्न को उनके काउंसेल श्री के. पी. सिंह ज्येष्ठ अधिवक्ता ने 26-5-1990 की सुनवाई में सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। पटना उच्च न्यायालय ने श्री यादव को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया और 1951 के अधिनियम की धारा 99 के अधीन उस प्रभाव आदेश पारित किया। पटना उच्च न्यायालय के इस आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दिया और उक्त रोक आदेश की तारीख 30-101984 के उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा हटा दिया गया और तब 1951 के अधिनियम की धारा 99 के अधीन पटना उच्च न्यायालय द्वारा किया गया आदेश प्रभावी हुआ।

6.3 श्री के. पी. सिंह ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तकनीकी प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के रोक और निरर्हता की अवधि पर उसके प्रभाव से संबंधित है। आयोग के मत

के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय के आदेश को, तारीख 25-4-1980 को किए गए अपने अंतरिम आदेश द्वारा रोक दिया था तथापि यदि तारीख 6-5-1983 को न्यायालय द्वारा पहली बार रोक आदेश मंजूर किया जाता तो भी उससे स्थिति में कोई सारभूत रूप से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1951 के अधिनियम की धारा 116ख(3) अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट रूप से कथित है कि जब उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित किया जाता है तो उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह कभी भी प्रभावी नहीं हुआ । अतः हालांकि तारीख 10-4-1980 के उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने तारीख 6-5-1983 को रोक लगा दिया, उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में यह समझा जाएगा वह कभी भी प्रभावी नहीं हुआ और तारीख 10-4-1980 का उच्च न्यायालय का आदेश, तारीख 30-10-1984 से प्रभावी हुआ समझा जाएगा जब उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर दिया और रोक को हटा दिया । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए 1951 के अधिनियम की धारा 8क(1) में विनिर्दिष्ट छह वर्ष की अवधि, इस मामले में तारीख 30-10-1984 से संगणित की जाएगी ।

7.1. जहां तक श्री यादव के लिखित निवेदन का संबंध है जिसमें उन्हें "विवक्षित सम्मति" पद के अधीन तकनीकी आधार पर भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया था, उसके बारे में उच्चतम न्यायालय के इस निष्कर्ष के प्रति निर्देश पर्याप्त है कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां दो मत संभव हों, जिससे कि श्री यादव को संदेह का लाभ दिया जा सके।

7.2. श्री यादव का निवेदन, जिसे कि श्री के. पी. सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता ने दोहराया है, अर्थात् उच्चतम न्यायालय ने श्री यादव पर कोई खर्चा अधिनिर्णीत न करके नरम रुख अपनाया है, उस पर अब विचार किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में अपील को खारिज करने के कोई कारण, खर्चे के बारे में आदेश किए बिना, नहीं बताए हैं । तथापि, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को स्पष्टतया और असंदिग्ध रूप से माना है । इसके अतिरिक्त, निर्णय के आरंभिक भाग में, उच्चतम न्यायालय ने स्वयं यह संप्रेक्षण किया है कि "यदि भ्रष्ट आचरण का आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उसके लिए निरर्हता सबसे बड़ी शास्ति है।" इस संप्रेक्षण से यह प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय ने क्यों श्री यादव के विरुद्ध कोई खर्चा अधिनिर्णीत नहीं किया। किसी भी दशा में उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल खर्चा अधिनिर्णीत न करना श्री यादव के पक्ष में परिस्थिति को कम होना कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

7.3 अन्त में, मैं सचिव, बिहार विधान मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति को मामला और उससे संलग्न अन्य निवेदन प्रस्तुत करने में हुए, अत्यधिक विलंब के बारे में कहना चाहूंगा। यह सही है कि सचिव की ओर से श्री यादव का मामला राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब हुआ है। 1951 के अधिनियम की धारा 8-क(1) के अनुसार निस्संदेह रूप से सचिव से अपेक्षित है कि वह मामले को अविलम्ब प्रस्तुत करें। किन्तु सचिव की ओर से इस आब्यता का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि यह ऐसी समय सीमा का उपबंध करती है जिसके भीतर मामले प्रस्तुत किए जाने चाहिएं। इसके अतिरिक्त श्री यादव ने प्रशासनिक मशीनरी की ओर से हुई इस चूक का पूरा लाभ उठाया है। यदि यह मामला समय पर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया होता तो, श्री यादव 1984 के अन्त तक या 1985 के आरंभिक भाग में ही संभवतः निरर्हित हो गए होते। यदि उक्त धारा 8क(1) में कथित पूरे छह वर्ष की निरर्हता अवधि उन पर अधिरोपित की गई होती तो वे न तो 1985 में और न ही 1990 में निर्वाचन लड़ने योग्य रहते। यहां तक कि जब उन्होंने 1980 में एकपक्षीय रोक आदेश प्राप्त कर लिए । और 1980 का निर्वाचन लड़े तो भी वह इस बात से पूर्णतया अवगत थे कि निर्वाचन में उनका भाग लेना उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के अंतिम परिणाम के अध्यधीन होगा। उन्होंने 1980 का निर्वाचन अपने सिर पर निरर्हता जैसी लटकती हुई तलवार के नीचे लड़ा था क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 25-4-1980 के एकपक्षीय रोक आदेश में यह स्थिति स्पष्ट कर दी थी। जब वे 1985 में निर्वाचन लड़े, तब उच्चतम न्यायालय के अंतिम आदेश के आधार पर आपत्ति उठाई गई थी और यदि रिटर्निंग आफिसर द्वारा वह आपत्ति नामंजूर की गई थी, तो उसका एकमात्र कारण उस समय श्री यादव के विरुद्ध किसी निरर्हता आदेश का न होना था इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री यादव ने पटना न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपना मामला पांच वर्ष से अधिक तक लड़ा और इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि श्री यादव इस पूरी सुसंगत अवधि के दौरान कभी भी निरर्हित होने की संभावना से अवगत न रहे हों। अतः इस निष्कर्ष पर पहुंचना अनुचित नहीं कि उन्होंने जोखिम रखते हुए 1980 का निर्वाचन लड़ा और वैसी ही जोखिम रखते हुए 1985 और 1990 के निर्वाचन लड़े। 1985 और 1990 के निर्वाचन यदि वे लड़ सके तो उसका एकमात्र कारण सचिव बिहार विधान मंडल की ओर से राष्ट्रपति को विलंब से मामला प्रस्तुत करना था। श्री यादव इस विलंब का लाभ नहीं उठा सकते और इसके अतिरिक्त वे इस विलंब को अपने फायदे के लिए परिवर्तित करने का प्रयास कर चुके हैं।

8. अब आयोग की उसका राय के लिए निर्दिष्ट प्रश्नों को विचार में लिया जाए। पटना उच्च न्यायालय ने श्री राम शरण यादव को 1951 के अधिनियम की धारा 123(2) के अर्थ के अन्दर अनुचित प्रभाव के भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया। भ्रष्ट आचरण "बूथ पर बलात् कब्जा" करना है जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से सहमत ही नहीं है बल्कि उसने यह भी संप्रेक्षण किया है कि यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें दो मत संभव हों, जिससे कि श्री राम शरण यादव को संदेह का लाभ दिया जा सके। न्यायालय भ्रष्ट आचरण के आरोप के संबंध में सबूत के ठीक-ठीक मानकों को ही ग्रहण करते हैं और आरोप को शंकाओं के परे सिद्ध किए जाने पर बल देते हैं। श्री यादव के विरुद्ध बूथ पर बलात् कब्जे का सिद्ध आरोप एक बहुत ही गंभीर आरोप है। बूथ पर बलात् कब्जा करने वाले का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को ठप्प कर देना और समाप्त कर देना होता है। बूथ पर बलात् कब्जा एक घृणित अपराध है। बूथ पर बलात् कब्जा करने वाला निकृष्ट कोटि का चोर है। वह दया का पात्र नहीं है और उसे विधि अर्थात् 1951 के अधिनियम की धारा 8क(1) के अधीन उपबंधित अधिकतम दंड मिलना चाहिए। अतः मेरी राय में श्री राम शरण यादव को 30-10-1984 से (उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख) पूरे छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए। कोई अन्य कार्रवाई, धारा 8क के उपबन्धों के मूल उद्देश्य को ही परास्त कर देगी और उस धारा के उपबन्धों को निरर्थक बना देगी। तदनुसार मैं राष्ट्रपति महोदय को अपनी राय प्रस्तुत करता हूं कि श्री राम शरण यादव को 30-10-1984 से पूरे छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाए।

9. निष्कर्ष के रूप में, मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसी असाधारण परिस्थिति में जो इस मामले में उत्पन्न हुई है, अर्थात् बूथ पर बलात् कब्जा करने वाला व्यक्ति लगातार तीन साधारण निर्वाचन लड़ने में समर्थ रहा, उत्पन्न नहीं हुई होती यदि वर्ष 1975 में विधि को उदार न बनाया गया होता। वर्ष 1975 में विधि को उदार बनाए जाने से पूर्व, कोई व्यक्ति जो भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया, है 1951 के अधिनियम की धारा 99 के अधीन आदेश द्वारा उस तारीख से जिसको आदेश प्रभावी हुआ हो, छह वर्ष की अवधि के लिए अपने आप ही निरर्हित हो जाता । तथापि, वह ऐसी निरर्हता के हटाए जाने या ऐसी निरर्हता की अवधि को कम किए जाने के लिए निर्वाचन आयोग के पास जा सकता था। अधिनियम में उपबन्धित भ्रष्ट आचरणों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए,

इस प्रश्न के लिए बहुत कम गुंजाइश रह जाती है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, निरर्हित न किया जाए। यदि कोई कम करने वाली परिस्थितियां है तो उन्हें निरर्हता हटाने या निरर्हता की अवधि को कम करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। अतः वर्ष 1975 के संशोधनों के पूर्व जो स्थिति विद्यमान थी उसे वापस लाने के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार की आवश्यकता है।

ए. वेंकट सूर्य नारायणा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त।

नई दिल्ली,
13 जून, 1990

[फा.सं. 7(27)/90-वि.-II]
बी. एस. रमादेवी, सचिव

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1990

S.O. 547(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas the election of Shri Ram Sharan Yadav (hereinafter referred to as the "returned candidate"), a returned candidate from 241-Goh Assembly Constituency in the State of Bihar at the General Election to the Legislative Assembly of Bihar held in June, 1977 was set aside by the Patna High Court on 10th April, 1980 on the ground of commission by the returned candidate of the corrupt practice specified in clause (2) of section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as "the said Act");

And whereas an appeal was filed by the returned candidate before the Supreme Court and that Court stayed the operation of the High Court's Order on 25th April, 1980;

And whereas the Supreme Court subsequently dismissed the appeal and also vacated the stay order on 30th October, 1984;

And whereas the case of the returned candidate was submitted by the Secretary, Bihar Legislative Assembly to the President on 19th March, 1990 in terms of sub-section (1) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951;

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of sub-section (3) of section 8A of the said Act on the question whether the returned candidate should be disqualified under sub-section (1) of that section and, if so, for what period;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the returned candidate should be disqualified for a period of six years to be reckoned from 30th October, 1984 i.e. the date of the judgment of the Supreme Court;

Now, therefore, I, R. VENKATARAMAN, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (3) of section 8A of the said Act do hereby decide that the returned candidate should be disqualified for a period of six years from 30th October, 1984.

Rashtrapati Bhawan,
New Delhi,
the 3rd July, 1990.

PRESIDENT OF INDIA.

ANNEXURE

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re : Disqualification of Shri Ram Sharan Yadav elected to the Bihar Legislative Assembly at the General Election held in 1977.

OPINION

1.1 This is a reference from the President of India under section 8A of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the 1951-Act). It was made on 27-3-1990 in pursuance of a report dated 19-3-1990 under the said section by the Secretary, Bihar Ligislative Assembly [specified authority under that section] and it is for seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Ram Sharan Yadav elected to the Bihar Legislative Assembly at the General Election held in 1977, should be disqualified and, if so, for what period.

1.2 Shri Ram Sharan Yadav's election to the Bihar Legislative Assembly from 241-Goh Assembly Constituency at the General Election held in June, 1977 was set aside by the Patna High Court by its Order, dated 10-4-1980 on the ground that he committed corrupt practice under section 123(2) [undue influence] at 79-Bhurkunda booth.

2.1 The following extract from the Judgment of the Patna High Court brings out clearly the details of the said corrupt practice committed by Shri Ram Sharan Yadav :

> "Thus I have examined and discussed above the oral and documentary evidence adduced by the parties with regard to 79-Bhurkunda booth, from which it is clear that there is abundance of reliable evidence on the record to prove the petitioner's case that on the date of poll, at about 11.30 a.m. Respondent No. 6 Ram Sharan Yadav had arrived at Bhurkunda Booth in his jeep and had enquired about the trend of the poll from his man, Ram Prasad Yadav of village Ibrahimpur, who told him that the poll at the booth was poor in his favour and thereupon Respondent No. 6, Ram Sharan Yadav, ordered his men and supporters, who were standing at the polling booth, to capture the booth by scaring away the voters and also to surround the booth and the petitioner, and, after giving the said order,

he left booth and thereafter his workers and supporters surrounded the booth and scared away the voters and prevented them from exercising their right of franchise and also surrounded the petitioner and held him up there, and the same is nowhere shaken by the meagre and unbelievable evidence adduced on behalf of Respondent No. 6 in this regard. Therefore, it is held that respondent No. 6 and his workers, with his consent, did commit the corrupt practice of undue influence at Bhurkunda booth by interfering with the free exercise of the electoral rights of the voters to cast their votes according to their choice.". [Thakur Muneshwar Nath Singh V. Shyam Nandan Misra and others—65 ELR p. 223, at page 233].

2.2 On appeal by Shri Ram Sharan Yadav, the Supreme Court granted by its Order, dated 25-4-1980, ex-parte stay, pending notice, in the following terms :

"In view of the impending assembly elections in the State of Bihar and on the facts and circumstances of this case we stay the operation of the High Court's Order but the petitioner's [i.e. Shri Ram Sharan Yadav's] participation in the next election will be subject to the final result of this appeal.

This stay order was confirmed by the Supreme Court on 6-5-1983, pending final disposal of the appeal. On 30-10-1984, the Supreme Court dismissed the appeal and also vacated the stay order. The Supreme Court observed :

"After a careful perusal and discussion of the evidence, we entirely agree with the conclusions arrived at by the High Court and hold that there is no reason to interfere with the judgment of the High Court so as to take a different view. In our opinion, it is not a case where two views were possible so that the appellant [Shri Ram Sharan Yadav] could be given benefit of doubt."

[Ram Sharan Yadav V. Thakur Muneshwar Nath Singh and others—AIR 1985 SC, p. 24 at p. 28].

2.3 As a result of the dismissal of appeal of Shri Ram Sharan Yadav and vacation of stay orders as aforesaid on 30-10-1984 by the Supreme Court, the Order of the Patna High Court finding Shri Ram Sharan Yadav guilty of corrupt practice took effect on that date According to section 8A of the Representation of the People Act, 1951, the case of Shri Ram Sharan Yadav ought to have been submitted by the Secretary to the Bihar Legislative Assembly being the specified authority under that section "as soon as may be" after the said date. Sub-section (1) of the said section 8A reads thus :

"(1) The case of every person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 shall be submitted, as soon as may be, after such order takes effect, by such authority as the Central Government may specify in this behalf, to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and if so, for what period :

Provided that the period for which any person may be disqualified under this sub-section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under section 99 takes effect.".

The period of six years, referred to in the proviso to the sub section will be expiring in October, 1990. There has thus been an inordinate delay on the part of Secretary of the Bihar Legislative Assembly. This aspect of the matter may be inquired into separately and appropriate remedial measures by way of introducing a system of periodical submission of returns as to pending cases by authorities under the said section 8A to the President's Secretariat or to the Election Commission and reminders with respect thereto, can be considered for preventing, the recurrence of a similar situation in future.

3.1 Within a few days after the receipt of the present reference by the Commission, the Commission issued a notice on 4-4-1990 to Shri Ram Sharan Yadav to appear before it personally or through a duly authorised counsel on 17-4-1990, as the Commission, as a matter of consistent policy and practice, affords, for compliance with the rules of natural justice, an opportunity of personal hearing to the person affected in reference cases under section 8A of the 1951-Act.

3.2 Shri Yadav appeared before the Commission **on 17-4-1990 and** prayed for adjournment of the hearing by two months. He submitted that he received the Commission's notice only on the previous day, i.e. 16-4-1990, and that he wanted sufficient time for raising funds for engagement of a counsel and for engaging a counsel. In order to give him a reasonable opportunity, the hearing was adjourned by one month to 16-5-1990.

3.3 Shri Yadav filed written submission on 15-5-1990 and on 16-5-1990, he appeared before the Commission and again prayed for adjournment of the heading to 6-5-1990 on the ground that the counsel he proposed to engage was busy in some important matters before the Patna High Court. The Commission again accepted his prayer and adjourned the hearing to 26-5-1990.

3.4 Shri Yadav again appeared before the Commission on 26-5-1990. He was represented by Shri Krishan Prasad Singh, Senior Advocate. who was assisted by Shri Udit Narain Singh and Shri Arvind Ujjawal, Advocates.

4. In the written submissions filed on 15-5-1990, Shri Ram Sharan Yadav has stated that after the Judgment of the Patna High Court in the year 1980, he fought three elections from the same 241-Goh Assembly constituency and that he was declared elected in two of those elections, i.e. in 1980 and 1990. He has also contended that the Supreme Court did not pass any order under section 99 of the Repre-

sentation of the People Act, 1951 on the basis of which he could be disqualified under section 8A of the Act. He has also urged that he was found guilty of corrupt practice on technical ground under the term "implied consent" and that the Supreme Court took a lenient view while dismissing his appeal because the Supreme Court did not award any costs against him. Shri Yadav also pointed out that thirteen years have elapsed from the election held on 10-6-977 and that the maximum period of disqualification of six years under section 8A of the Representation of the People Act, 1951 would also be expiring in the month of October 1990. He has, accordingly, requested that the Commission might be pleased to drop the proceedings.

5.1 At the hearing held on 26-5-1990, Shri K. P. Singh, Senior Advocate, supplemented some of the written submisions made by Shri Yadav and also made certain additional submission. With regard to the contest by Shri Ram Sharan Yadav from the same Goh Assembly constituency in 1980, 1985 and 1990, Shri K. P. Singh, Sr. Advocate pointed out that when Shri Yadav contested the election in 1985, an objection was raised with regard to his nomination in the ground that he stood disqualified because by that time the Supreme Court had dismissed his appeal and that the said objection was over-ruled by the Returning Officer and that no question was thereafter raised by any one with regard to Shri Yadav's disqualification. He urged that in view thereof, Shri Yadav was under the bona fide belef that no disqualification had been imposed upon him on the basis of the High Court's Order, dated 10-4-1980 or the Supreme Ciurt's Order, dated 30-10-1984. In this connection, Shri Singh referred to the provisions of sub-section (1) of section 8A of the 1951-Act which envisage the case of every person found guilty of a corrupt practice being submitted to the President "as soon as may be" after the order of the High Court or, as the case may be, the Supreme Court took effect. He submittted that the inordinate delay in the submission of Shri Yadav's case to the President was a sufficient ground for not imposing any disqualification on Shri Yadav who had all along been acting under the bona fide belief that he was not disqualified and spent a lot of energy, time, labour and money in contesting the election in 1985 and particularly 1990. Shri Singh also submitted that under the provision of section 8A(1) of the 1951—Act, the maximum period for which the disqualification could be imposed was six years from the date on which the order of the Court finding a person guilty of corrupt practice took effect and that if the case had been submitted to the President in time and decided by him, the period of disqualification imposed, if any, on Shri Yadav would, in all probability, have expired by now. He reiterated the submission that the Supreme Court had taken a lenient view inas much as that Court had not rwarded any costs against Shri Yadav and that therefore, the Commission should also take a lenient view in the matter.

5.2 Lastly, Shri Singh referred to the decree, dated 30-10-84, of the Supreme Court and mentioned that the decree seemed to indicate that the Supreme Court stayed the operation of the High Courts' order on 6-5-1983. While conceding that he was not in possession of any document to show whether any ad interim stay order had been passed by the Supreme Court earlier, he contended that if the stay order was granted on 6-5-1983 by the Supreme Court, then the High Court's Order remained in operation for more than three years and if that period was also taken into account the maximum period of six years for which the disqualification could be imposed was already over.

6.1 I have carefully considered the written submissions of Shri Ram Sharan Yadav as also the submissions made on his behalf by Shri K. P. Singh, Senior Advocate at the hearing held on 26-5-1990.

6.2 First of all, I may dispose of two points of a "technical" nature—one made in the written submissions by Shri Yadav and the other made by Shri K. P. Singh, Senior Advocate.

6.3 In the written submmisions, Shri Yadav has contended that the Supreme Court did not pass any order under section 99 of the Representation of the People Act, 1951 on the basis of which he could be disqualified under section 8A of the 1951-Act. This point was rightly not taken up by his Counsel, Shri K. P. Singh, Senior Advocate, at the hearing on 26-5-1990. The Patna High Court found Shri Yadav guilty of corrupt practice and made an order to that effect under section 99 of the 1951-Act. This Order of the Patna High Court was stayed by the Supreme Court and the said stay order was vacated by the Supreme Court by its Order dated 30-10-1984 and thereupon Order made by the Patna High Court under section 99 of the 1951-Act took effect.

6.3 The "technical" point made by Shri K. P. Singh, Senior Advocate, relates to the stay of the High Court's Order by the Supreme Court and its effect on the period of disqualification. According to the records of the Commission, the Supreme Court stayed the High Court's Order by an ad interim order on 25-4-1980. However, even if the stay had been granted for the first time by the Court on 6-5-1983, that would not have altered the position in any material respect because section 116B(3) of the 1951-Act clearly states, inter alia, that when the operation of an Order of the High Court is stayed by the Supreme Court, the Order of the High Court "shall be deemed never to have taken effect". Thus, even if the High Court's Order, dated 10-4-1980 was stayed by the Supreme Court on 6-5-1983, the High Court's Order would be deemed never to have taken effect once it was stayed by the Supreme Court and the High Court's Order, dated 10-4-1980, would be deemed to have taken effect only with effect from 30-10-1984 when the Supreme Court dismissed the appeal and confirmed the High Court's Order and vacated the stay. In view of the above, the period of six years specified in section 8A(1) of the 1951-Act has to be reckoned in the present case from 30-10-1984.

7.1 As regards the written submission by Shri Yadav that he was found guilty of corrupt practice on technical ground under the term 'implied consent", it is sufficient to refer to the conclusion of the Supreme Court that this is not a case where two views are possible so that Shri Yadav could be given the benefit of doubt.

7.2 The written submission by Shri Yadav, which has been reiterated by Shri K. P. Singh, Senior

Advocate, namely, that the Supreme Court took a lenient view by not awarding any costs against Shri Yadav, may now be considered. The Supreme Court has not spelt out in its Judgment the reasons for which the Court was pleased to dismiss the appeal without any order as to costs. However, the Supreme Court has clearly and unambiguously upheld the Judgment of the High Court. Further, in the opening portion of the Judgment, the Supreme Court itself has observed that the charge of corrupt practice "if proved, entails a very heavy penalty in the form of disqualification." This observation may give a clue as to why the Supreme Court chose not to award any costs against Shri Yadav. In any case, the mere non-awarding of the costs by the Supreme Court can hardly be considered as a mitigating circumstance in favour of Shri Yadav.

7.3 Lastly, I may deal with the submissions relating to the inordinate delay in the submission of the case by the Secretary to the Bihar Legislative Assembly to the President of India and the other submissions connected therewith. It is true that there has been inordinate delay on the part of the Secretary in submitting the case of Shri Yadav to the President. According to section 8A(1) of the 1951-Act, the Secretary is, no doubt, required to submit the case without delay. But this obligation on the part of the Secretary cannot be read as providing for a period of limitation within which cases should be submitted. Further, Shri Yadav has taken full advantage of this lapse on the part of the administartive machinery. If the case had been submitted to the President in time, in all probability, Shri Yadav would have been disqualified towards the end of 1984 or in the early part of 1985. If that disqualification had been imposed upon him for full term of six years as envisaged in the said section 8A(1), he would not have been able to contest the elections either in 1985 or in 1990. Even when he obtained ex parte stay in 1980 and contested the 1980—election, he did so with the full awareness that his participation in the election would be subject to the final result of the appeal before the Supreme Court. He contested the 1980—election with the Damoclean Sword of disqualification on his head as this position was made clear by the Supreme Court in its ex parte stay order, dated 25-4-1980. When he contested the election in 1985, an objection was raised on the basis of the final Order of the Supreme Court and if the objection was rejected by the Returning Officer, it was only because no order of disqualification was made against Shri Yadav by that time. Having regard to the fact that Shri Yadav fought his case before the Patna High Court and before the Supreme Court over a period of more than five years and having regard to the orders passed by the Supreme Court in this case, it would be difficult to believe that Shri Yadav was, at any time, throughout the relevant period unaware of the possibility of his becoming liable to disqualification. It is, therefore, not unreasonable to conclude that just as he contested the 1980-election taking the risks involved, he contested the 1985 and 1990 elections taking the risks involved. If he could contest the 1985 and the 1990 elections, it was only because of the delay on the part of the Secretary, Bihar Legislative Assembly in submitting the case to the President. Shri Yadav cannot be permitted to take advantage of this delay, more so when he tried to convert this delay to his own advantage.

8. The questions referred to the Commission for its opinion may now be taken up. The Patna High Court found Shri Ram Sharan Yadav guilty of corrupt practice of undue influence within the meaning of section 123(2) of the 1951-Act. The corrupt practice is by way of "booth-capture". As already mentioned, the Supreme Court has not only agreed with the conclusions arrived at by the High Court but has also observed that this is not a case where two views were possible so that Shri Ram Sharan Yadav could be given benefit of doubt. The Courts adopt very strict standards of proof in relation to a charge of corrupt practice and insist upon the charge being proved beyond any shadow of doubt. The charge of booth-capturing proved against Shri Yadav is a very grave charge. A booth-capturer's aim is to under-cut and undermine the electoral process. Booth-capture is a heinous offence. A booth-capturer is a thief of the worst type. He deserves no leniency and should be visited with the maximum penalty provided under the law, viz. section 8A(1) of the 1951-Act. Therefore, I am of the view that Shri Ram Sharan Yadav should be disqualified for the full period of six years reckoned from 30-10-1984 (the date of the Order of the Supreme Court). Any other course of action might defeat the very object underlying the provisions of section 8A and render the provisions of that section nugatory. Accordingly, I hereby tender my opinion to the President that Shri Ram Sharan Yadav be disqualified.

9. In conclusion, I may mention that the extraordinary situation which has arisen in this case, namely, of a booth-capturer being able to contest three successive General Elections would not have arisen if the law had not been liberalised in 1975. Before the liberalisation of the law in 1975, a person found guilty of corrupt practice by an order under section 99 of the 1951-Act became automatically disqualified for a period of six years from the date on which that order took effect. He could, however, approach the Election Commission for removing such disqualification or for reducing the period of such disqualification. Having regard to the nature of corrupt practices provided in the Act, there is little scope for any question as to a person found guilty of any corrupt practice not being liable to disqualification. If there are any mitigating circumstances, those could be availed of for removing the disqualification or reducing the period of disqualification. Hence the question of reverting to the position as it obtained before the 1975-amendments deserves serious consideration.

New Delhi, the
12th June, 1990.

R. V. S. PERI SASTRI, Chief Election Commissioner of India.

[F. No. 7(27)/90-Leg. II]
V. S. RAMA DEVI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990